



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007

(नैक द्वारा एन+ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : / सम्ब.अनु. / 2023

दिनांक :

रजिस्टर्ड / स्पीडपोस्ट / व्यक्तिगत

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 3050/सत्तर-2-2023-16(11)/2017टी.सी., दिनांक : 15.09.2023 द्वारा नवीन महाविद्यालय अथवा पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) में सत्र 2024-25 के लिए अनापत्ति एवं सहयुक्तता के प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्धारित की गयी है :-

क.सं.	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 सितम्बर से 15 दिसम्बर, 2023 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से 20 जनवरी, 2024 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देंगे।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक।
4	ऑनलाइन अनापत्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 फरवरी, 2024 तक।
5	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक।
6	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 05 मार्च, 2024 (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा 28 फरवरी, 2024 तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 05 अप्रैल, 2024 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 20 अप्रैल, 2024 तक।
9	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 मई, 2024 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 31 मई, 2024 तक।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त प्रस्तावित नवीन महाविद्यालयों/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की अनापत्ति/सहयुक्तता हेतु अनिवार्य रूप से शासन के अनापत्ति/सम्बद्धता के पोर्टल "henoc.upsdc.gov.in" पर उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार आवेदन/अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त (लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी) महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों (बी0एड0 के अतिरिक्त) जिनकी सम्बद्धता/सहयुक्तता 30 जून, 2024 को समाप्त होने जा रही है, को भी निर्देशित किया जाता है कि- "आगामी शिक्षण सत्र 2024-25 से स्थायी सहयुक्तता हेतु विश्वविद्यालय से शासनादेश के अनुसार henoc.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निरीक्षक मण्डल प्राप्त कर स्थलीय निरीक्षण आख्या/सुसंगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत ऑनलाइन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में सत्र 2024-25 से ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।"

3. स्थलीय निरीक्षण मण्डल नामित किये जाने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के खाते में ऑन लाइन "lufees.in" पर दिये गये लिंक के माध्यम से पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क रू0 35400/- (30000+18प्रतिशत जी.एस.टी.) एवं नवीन महाविद्यालयों के लिए रू0 59000/- (50000+18 प्रतिशत जी.एस.टी.) प्रति पाठ्यक्रम जमा कर आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद की प्रति एवं पूर्व में प्राप्त सम्बद्धता/सहयुक्तता/अनापत्ति पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : AF-21832-37

दिनांक : 25/9/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी-लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली एवं हरदोई को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0वि0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर-एम, आशियाना लखनऊ।
5. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केंद्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई-मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली एवं हरदोई) को अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाईल।

कुलसचिव